रामसिंह बनाम तहसीलदार कोटपूतली
न्यायालय :- अति० जिला कलक्टर कोटपूतली
केस संख्या 43/2020

14.10.20 - पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित।
तहसीलदार कोटपूतली से सीमाज्ञान की रिपोर्ट
मय मौका दिनांक 12.10.2020 की प्राप्त हो चुकी
है जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण
के संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि पटवारी हल्का
... ने नायब तहसीलदार कोटपूतली के यहां एक
रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077
में ग्राम दादूरा के आराजी ख० नं० 1076/0.23 हे०
(किस्म बारानी तृतीय) में से 0.23 हे० आराजी पर रामसिंह
पुत्र मोहनलाल जाति माली, निवासी दादूरा तहसील
कोटपूतली ने बाजरे की फसल कर नाजायज रूप से अति-
क्रमण कर लिया है। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 30.7.20
को अपीलार्थी/गैरसायल को ग्राम दादूरा की 0.23 हे०
आराजी पर अतिक्रमण घोषित करते हुए बेदखली एवं
पेनल्टी वसूली के आदेश पारित किये हैं जिसके विरुद्ध
उपरोक्त अपील पेश हुई थी अपीलार्थी द्वारा जारी
वकील ... हाजा के पेश होने पर रिपोर्ट तलब की
गई ... प्रकरण के वकील अपीलार्थी को सुनकर
प्रकरण में तहसीलदार कोटपूतली के द्वारा पारित आदेश
दिनांक 30.7.20 की क्रियान्विति आगामी आदेशों
तक स्थगित की जाने के आदेश दिनांक 18.8.20
को इस न्यायालय हाजा से जारी किये हैं जिसमें
तहसीलदार कोटपूतली को आदेशित किया गया कि राजस्व
कार्मिकगण की टीम गठित कर मौके पर सीमाज्ञान
करावे तथा सीमाज्ञान होने पर पालना रिपोर्ट भिजवाई जावे।
तहसीलदार कोटपूतली से मौके की सीमाज्ञान मय रिपोर्ट
दिनांक 12.10.20 की प्राप्त हो चुकी है।
रिपोर्ट में दर्ज अंकित है कि ... मुताबिक मय
पुत्र मोहनलाल माली ... द्वारा ... से
काश्त की गई थी, ... द्वारा बाजरा ...
रिपोर्ट की थी ... द्वारा धारा 91 की
गई है वर्तमान में मौके पर फसल हटली
वर्तमान में मौके के ... लगाकर
अतिक्रमण किया हुआ है जो कि रिपोर्ट ... है

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

उपरोक्त पक्षों की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट का अनु-
बहस के कथन है कि नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा मिसल
संख्या 23/2020 में उनवान सरकार बनाम [illegible] के
LR Act धारा 91, कार्यवाही अमल में लाई जाकर
आ० ख० नं. 1076/0.23 है० स्थित ग्राम तृतीय वार्ड
ग्राम दादूसा तहसील कोटपूतली पर अपीलान्ट / प्रार्थी
को अतिक्रमी घोषित करते हुए पैनल्टी एवं अतिक्र-
मण से बेदखली के आदेश दिनांक 30.7.2020 को
जारित किये हैं जबकि पटवारी हल्का बिना मौका देखे
बिना पत्थरगढ़ी किये तथा बिना सीमाज्ञान के मात्र
अनुमान के आधार पर मनगढ़न्त रिपोर्ट पेश कर उक्त
गलत रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा
दिनांक 30.7.2020 को अपीलान्ट / प्रार्थी के
विरुद्ध धारा 91 LR Act 1956 के तहत कार्यवाही
करते हुए आ० ख० नं. 1076/0.23 है० वार्ड ग्राम दादूसा
से बेदखली एवं पैनल्टी वसूली के आदेश पारित किये
हैं जबकि अपीलान्ट / प्रार्थी का उक्त आराजी पर
किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है उक्त
आराजी के लगती हुई प्रार्थी की खातेदारी भूमि है।
माननीय श्रीमान न्यायालय द्वारा अतिक्रमण बाबत पुनः
सीमाज्ञान के आदेश दिनांक 18.8.20 पारित किये
गये थे उनकी पालना में तहसील कोटपूतली से
फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें उक्त ख० नं०
से खोटे के खोल व जाल लगाकर अतिक्रमण होना
बताया है जो मौके पर न जाकर कार्यालय में बैठकर
ही फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कर गलत एवं झूठी
रिपोर्ट पेश की है वर्तमान में प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा
कोई किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर रखा है
इसलिए अपीलान्ट / प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील
स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट / प्रार्थी
विरुद्ध की गई कार्यवाही अपास्त करने के आदेश
प्रदान करें। उक्त प्रकरण धारा 91 LR Act 1956
के अन्तर्गत की गई कार्यवाही अतिक्रमण से सम्बन्धित
है उक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा
(लगातार

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

केस नं. 43/2020 रामसिंह बनाम तहसीलदार

अपीलार्थी। गैर सायल रामसिंह पुत्र मोहनलाल माली, निवासी मण्ढ्या(?) के विरुद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 30.7.20 को प्रकरण के मौके से बेदखली करने एवं पेनल्टी वसूली के आदेश पारित किया जाना प्रमाणित है। उक्त आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय हाजा में अपील मय प्रार्थना पत्र(?) पेश की गई है। न्यायालय हाजा से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश 30.7.20 की क्रियान्विति स्थगित रखे जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 18.8.20 को जारी किये गये थे। इस बाबत तहसीलदार को आदेशित किया गया था कि राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर मौके का सीमाज्ञान कराके तथा सीमाज्ञान होने के उपरान्त पालना रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार कोटपूतली से प्रकरण में सीमाज्ञान की रिपोर्ट दिनांक 12.10.20 को प्राप्त हो गई है जो शामिल पत्रावली है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त आराजी ख.न. 1076/0.23 हे० किस्म बारानी तृतीय में बाड़े की फसल(?) काश्त की गई थी जिसकी पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के निरुद्ध(?) रिपोर्ट पेश की गई थी जो वर्तमान में फसल मौके से काट ली गई है। वर्तमान में आज भी मौके के एंगल व जाल लगाकर अतिक्रमण अपीलार्थी द्वारा किया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी गैर सायल का आज भी मौके पर अतिक्रमण बरकरार है यानि मौके से अतिक्रमण नहीं हटाया है। अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना उचित नहीं होती है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा मु.नं. 23/2020 सरकार बनाम रामसिंह में पारित आदेश 30.7.20 को यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त आदेश की प्रति तहसीलदार कोटपूतली को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)